



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032024-253375
CG-DL-E-26032024-253375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1476]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2024/चैत्र 6, 1946

No. 1476]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2024/CHAITRA 6, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2024

का.आ. 1545(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 के तहत गठित एक प्राधिकरण, 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन', नई दिल्ली (PAN AABAN3769K), को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः

(क) भारत सरकार से सहायता अनुदान; और

(ख) बैंक जमाओं पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन', नई दिल्ली -

(क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगी;

(ख) कार्यकलापों और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल करेगी।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2020-2021, 2021-2022 तथा 2022-2023 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्षों क्रमशः 2021-2022, 2022-2023 तथा 2023-2024 के लिए लागू की गई मानी जायेगी।

[अधिसूचना सं. 36/2024 फा. सं.300196/21/2017-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2024

S.O. 1545(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'National Mission for Clean Ganga', New Delhi (PAN AABAN3769K), an Authority constituted under the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authority Order, 2016, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:

- (a) Grants-in-Aid received from Government of India; and
- (b) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that National Mission for Clean Ganga, New Delhi –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2021-2022, 2022-2023 and 2023-2024 relevant for the financial years 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023 respectively.

[Notification No. 36/2024 F. No. 300196/21/2017-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

